



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम
- मिनीरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110012
फैक्स 011-25846462

NATIONAL SEEDS CORPORATION
LIMITED

(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM - Jetsar
District- Sriganganagar - 335702(Raj.)
PHONES : 01498- 261227, 261202 (Office)
e-mail - csf.jetsar@indiaseeds.com

क० - सीएसएफ/जेट/3-7/विप०/2019.20/

दिनांक 03.04.2019

केन्द्रीय राज्य फा. जैतसर को ,गोदामों / ऑपन शेडों पर जिंसी के रखरखाव, साफ-सफाई इत्यादि के कार्य को वर्ष 2019-20 के लिए ठेके पर देने हेतु इच्छुक ठेकेदारों से दिनांक 25.04.2019 को दोपहर 01.00 बजे तक निविदायें आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन दोपहर 03.00 बजे खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र / नियम व शर्तें कार्यालय दिवस के अंदर रुपये 100/- जमा करवाकर खरीदी जा सकती है। निविदा की विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है।

अपर-महाप्रबन्धक (उत्पा.)



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम
- मिनीरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110012
फैक्स 011-25846462

NATIONAL SEEDS CORPORATION
LIMITED

(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com

CENTRAL STATE FARM - Jetsar
District- Sriganganagar – 335702(Raj.)

PHONES : 01498- 261227, 261202 (Office)
e-mail – csf.jetsar@indiaseeds.com

क० – सीएसएफ/जेट/3-7/विप०/2019.20/

दिनांक 03.04.2019

श्रीमान् अपर-महाप्रबन्धक (उत्पादन)
केन्द्रीय राज्य फार्म,
जैतसर-335702

निविदा प्रपत्र

क्र. सं.	कार्य का विवरण	राशि प्रतिमाह	अन्य विवरण
1.	केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर के गोदामों पर बीजों के रख-रखाव कार्य को वर्ष 2019-20 के लिए ठेके पर देना है। जिसके लिए फ्यूमिगेशन करना, गोदाम / गोदाम परिसर / ऑपन शेड की साफ-सफाई करना, दवाईयों का छिड़काव, समय समय पर बीजों को तिरपालों से ढकना, क्रेटों को इकट्ठा कर व्यवस्थित रखना, विधायन संयंत्रों के गोदामों के तालों को समय-समय पर खोलना / बंद करना इनकी साफ सफाई करना, पैकिंग सामग्री टैग, लेबल, थैलिया, बोरे इत्यादि का रखरखाव करना। बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के निरीक्षण के समय बीजों के लॉटों का सैंपल भरवाने का कार्य इत्यादि।		

निविदा से संबंधित संलग्नक (अ) अनुसार सभी नियम व शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ली गयी हैं और स्वीकार की जाती हैं।

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पता.....
.....
मोबाइल नंबर.....
ई-मेल.....

केन्द्रीय राज्य फार्म: जैतसर

जिला: श्रीगंगानगर (राज.)

निविदा की नियम व शर्तें

1. निविदाता / ठेकेदारों के पास अपना पैन नंबर व आधार नंबर होना अनिवार्य है, जिसे निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। ईपीएफ ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए है।
2. निविदादाता द्वारा रुपये 10,000/- धरोहर राशि बैंक डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में व भारतीय स्टेट बैंक, बाजुवाला के नाम देय होना चाहिए, जो निवादा देने से पूर्व फार्म खंजाची के पास जमा करवानी होगी। धरोहर राशि आर.टी.जी.एस. द्वारा भी निगम के खाता संख्या- 33963396672 आईएफसी कोड SBIN0008251 में जमा करवायी जा सकती है। जिसका यू.टी.आर. नंबर निविदाता को उपलब्ध करवाना होगा। असफल निविदाताओं को धरोहर राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी। यदि ठेकेदार नियम व शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगी। सफल निविदाता की धरोहर राशि सुरक्षा राशि के रूप में रख ली जायेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. प्रारंभ में ठेके का कार्यकाल एक वर्ष है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर वर्ष दर वर्ष आधार पर अन्य दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। यदि ठेकेदार का कार्य असंतोषजनक रहने की स्थिति में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर फार्म के सक्षम अधिकारी अपने विवेक से एक माह के नोटिस पर ठेका समाप्त कर सकते हैं।
4. ठेकेदार द्वारा देय बिलों का भुगतान कार्यालय दिवस के 15 दिनों में जो भी कर (Tax) होंगे काटकर भुगतान कर दिया जाएगा।
5. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 संविदा श्रम (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कर्माकार मुआबजा अधिनियम और समय समय पर लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन का वैधानिक दायित्व सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार का होगा तथा समस्त ईपीएफ, ईएसआई जमा कराने का दायित्व ठेकेदार का होगा।
6. ठेके कार्य के दौरान यदि कोई हादसा या दुर्घटना होती है तो उसके लिए ठेकेदार ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगा।
7. ठेकेदार व निगम के बीच किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मामला आर्बिट्रेशन हेतु अध्यक्ष सह-प्रबन्धक निदेशक महोदय राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा तथा उनके द्वारा अथवा उनके द्वारा नामित / मनोनित व्यक्ति के द्वारा किया गया निर्णय दोनों पक्षों को अंतिम व मान्य होगा एवं उनके साथ किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र, श्रीबिजयनगर होगा।

अपर-महाप्रबन्धक (उत्पा.)

4/3/24/24/19